



Neutral Citation No. 2026:AHC:16978

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 259 / 2026

विजय शंकर

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 14 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

बिपिन लाल श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

अवधेश कुमार मालवीय मुख्य

स्थायी अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बिपिन लाल श्रीवास्तव राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी तथा प्रत्यर्थीनगर पालिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार मालवीय को सुना गया।
2. यह रिट याचिका दायर की गई है जिसमें परमादेश रिट की मांग की गई है। इसमें प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को निर्देश दिया गया है कि वह पुनरीक्षण संख्या 915/2020 (कम्प्यूटराइज्ड मुकदमा संख्या एएल2020142900915) (विजय शंकर और अन्य बनाम उ० प्र० राज्य और अन्य) पर निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्रता से निर्णय ले।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उ० प्र० भूराजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया पुनरीक्षण 14.9.2020 से प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की सुनवाई शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रही है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपर्युक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक यथाशीघ्र—और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर—निपटाए। यह निर्णय संबंधित पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद लिया जाए।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



22 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"